न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 150 / 2024 निर्णय दिनांक 18.11.2024
जीसीएमएस नम्बर 2024 / 320

माणकचन्द पुत्र सुगनाराम जाति जाट निवासी भावनदेसर तहसील रतनगढ़ जिला चूरू।

—वादी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़।

—प्रतिवादी—

उपस्थितिः—

1. श्री मोहननाथ सिद्ध अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व धारा 136 एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की ओर से दावा निम्न प्रकार से सादर प्रस्तुत है। वादी की खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 233 क्षेत्रफल 5.8200 हैक्टेयर बारानी वाके रोही ग्राम इन्दपालसर सांखलान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है। वादी के पहचान एवं निवास संबंधित दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक इत्यादि में वादी का सही एवं शुद्ध नाम माणकचन्द अंकित चला आ रहा है। वादगत खेत वादी की स्वअर्जित सम्पति है जो जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादी की खातेदारी दर्ज हुई। आज से लगभग 30 — 35 वर्ष पूर्व डीडराइटर ने वादखेत के विक्रय—पत्र के निष्पादन के समय वादी क्रेता का बोलता नाम माणकराम लिख दिया उस समय आधार कार्ड वगैरह नहीं बने हुये थे। वादगत खेत खसरा नम्बर 233 क्षेत्रफल 5.8200 हैक्टेयर बारानी वाके रोही ग्राम इन्दपालसर सांखलान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर की कृषि भूमि पर कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग वादी का चला आ रहा है। वादगत खसरा की भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी अपना सही नाम माणकचन्द अंकित करवाने का कानूनन अधिकारी है । वादगत भूमि में वादी का गलत नाम माणकराम अशुद्ध रूप में अंकित होने के कारण वादी को कृषि सुधार हेतु किसान क्रेडिट कार्ड आदि बनाने में कई तरह की परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है। वादगत खसरा भूमि में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकन चला आ रहा है, इस बाबत वादी दिनांक 29.07.2024 को प्रतिवादी से निवेदन किया कि मेरा नाम माणकचन्द है जिसकी जगह लिपिकिय भूलवंश माणकराम अंकित हो गया है, इसलिए माणकराम की जगह माणकचन्द अंकित किया जावे जिस पर प्रतिवादी ने वादी का सही नाम दर्ज करने से इन्कार कर दिया । व वादी को कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड में आपका नाम सही अंकित व शुद्धिकरण करना सम्भव नहीं है। राजस्व रिकार्ड में उक्त ससोधन होने से प्रतिवादी के हितो पर कोई विपरित असर नही पड़ेगा, जबकि इसके विपरित सही नाम दर्ज नही होने से वादी को अपूरणीय क्षति होगी। वादी के पास वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम माणकचन्द दर्ज करवाने के लिए घोषणा की डिक्री के अलावा अन्य कोई अनुतोष नही है। वादगत खेत वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त होने के कारण वादी को खिलाफ प्रतिवादी वादाधार हासिल है। प्रतिवादी द्वारा दिनांक 29.07.2024 को वादी का वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दर्ज नहीं करने से वादी को प्रतिवादी के खिलाफ वादहेतू हासिल है। प्रतिवादी को आवश्यक पक्षकार होने की वजह से दावा में पक्षकार संयोजित किया गया है। इनके विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। वाद डिक्री फरमाया जाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.11.25 15:34:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

है तो प्रतिवादी के हितो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। वादी द्वारा प्रस्तूत घोषणात्मक दावा में राजस्थान सरकार आवश्यक पक्षकार है राजस्थान सरकार को पक्षकार बनाने से पूर्व धारा 80 सीपीसी के तहत दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है वादी का दावा अर्जेन्ट नेचर व तुरन्त अनुतोष प्राप्ति का होने के कारण धारा 80 (2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तूत कर न्यायालय श्रीमान की अनुमति से यह दावा प्रस्तूत किया जा रहा है । वादगत खेत रोही इन्दपालसर सांखलान तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित होने से यह दावा श्रीमान्जी के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार का है । जो पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद प्रस्तूत किया जा रहा है। अतः दावा प्रस्तूत कर निवेदन किया गया है कि वादी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः–

(क) कि घोषित किया जावे कि वादगत खेत खसरा नम्बर 233 क्षेत्रफल 5.8200 हैक्टेयर बारानी वाके रोही ग्राम इन्दपालसर सांखलान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर मे वादी का नाम माणकराम की जगह माणकचन्द घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर अंकन किया जावे।

(ख) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो या दोराने दावा हो जाये व भी वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।

(ग) कि खर्चा मूकदमा वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जावे ।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से पैरोकारराज उपस्थित होकर जवाबदावा पेश किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को वादी वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 233 क्षेत्रफल 5.8200 हैक्टेयर बारानी वाके रोही ग्राम इन्दपालसर सांखलान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर मे वादी का नाम माणकराम के स्थान पर शुद्ध नाम माणकचन्द घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.11.25 15:34:00 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस

उनवान

माणकचन्द पुत्र सुगनाराम जाति जाट निवारी भावनदेसर तहसील रतनगढ़ जिला चूरू।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़।

मुकदमा नम्बर 150/2024
दावा बाबतः घोषणात्मक व रिकॉर्ड दुरूस्ती
निर्णय दिनांकः 18.11.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री मोहननाथ सिद्ध अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व पैरोकारराज स्टेट की ओर से मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **खेत खसरा नम्बर 233 क्षेत्रफल 5.8200 हैक्टेयर बारानी वाके रोही ग्राम इन्दपालसर सांखलान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर मे वादी का नाम माणकराम के स्थान पर शुद्ध नाम माणकचन्द घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।**

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 18 माह 11 सन् 2024 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

उपखण्ड अधिकारी
श्री डूँगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.11.25 15:34:00 IST
Reason: SelfAttested